भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1463

उत्तर देने की तारीख-12/03/2025

लू का प्रकोप और स्कूल संचालन में व्यवधान

1463 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूनिसेफ के वर्ष 2024 के 'स्कूल संचालन में जलवायु जनित व्यवधानों पर प्रतिवेदन' के अनुसार, 5 करोड से अधिक स्कूली छात्र लू के प्रकोप से प्रभावित हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लू के प्रकोप के विरूद्ध स्कूलों की अवसंरचना की रोधक्षमता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से हाल ही में प्रकाशित यूडीआईएसई+ रिपोर्ट में स्कूलों में बताई गई डिजिटल अवसंरचना की कमी के मद्देनजर, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कार्यनीति का ब्यौरा क्या है कि लू के प्रकोप के कारण शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रबंधन के अधीन हैं। संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार, लू और मौसम संबंधी अन्य मामलों की वजह से स्कूल बंद होने के कारण अधिगम परिणाम प्रभावित न हों। तथापि, देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए, जो स्कूल जाने वाले छात्रों के स्वास्थ्य के लिए कभी-कभी खतरा पैदा कर सकती है, स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 मई, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों द्वारा लू के दुष्प्रभावों से निपटने के उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लू का सामना करने हेतु स्कूल के बुनियादी ढांचे की लचीलापन में सुधार करने के लिए, दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ लू के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए स्कूलों द्वारा ध्यान दी जाने वाली निम्नलिखित सावधानियां शामिल हैं:

- स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पंखे काम कर रहे हों और सभी कक्षाओं में उचित वेंटिलेशन हो
- यदि संभव हो तो वैकल्पिक बिजली बैकअप की व्यवस्था की जा सकती है
- कक्षा में सूर्य की रोशनी के सीधे प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्दे/ब्लाइंड/अख़बार आदि का उपयोग किया जा सकता है
- यदि स्कूल द्वारा आसपास के वातावरण को ठंडा रखने के लिए किसी स्थानीय पारंपरिक प्रथा का पालन किया जा रहा है जैसे कि 'खस' के पर्दे, बांस/जूट के चिक आदि, तो उन्हें जारी रखा जा सकता है।

ये दिशानिर्देश सलाहकारी प्रकृति के हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्कूलों में लू के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए एसओपी/दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षण पद्धति का डिजिटलीकरण और इसकी डिजिटल पहुंच छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए चोबीसों घंटे अधिगम को सक्षम बना रही है।

*****